

7215
28.09.16

C.E. (Plg.&Design)
S.E. (Plg.)
S.E. (PS) (Classon)
S.E. (PS)
S.E. (SSO/ATL/PS)
S.E. (Plg. I) / (Plg. II)
S.E. (EA) / (LM) / (PS)
S.O.

मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 2-09-2016

क्रमांक-04-04/तृतीय उवेमा-7/ 223/ आदेश

म0प्र0पॉ0ट्रा0कं0लि0 के आदेश क्रमांक AS/MPPTCL/II/3721-22 दि. 30-12-2015 के द्वारा तृतीय विकल्प उच्च वेतनमान (Third Time Scale Pay Higher Pay Scale on completion of 30 years service) का लाभ म0प्र0पॉ0ट्रा0कं0लि0 के कार्मिकों हेतु, उक्त परिपत्र के साथ संलग्न Terms and conditions के प्रावधानों के अनुसार एवं तत्संबंध में पूर्ववर्ती म0प्र0रा0वि0मं0 के आदेशों/परिपत्रों/स्पष्टीकरण/नोटिफिकेशन आदि में किये गये प्रावधानों जिन्हें म0प्र0पॉ0ट्रा0कं0लि0 के द्वारा अपने कार्मिकों हेतु परिपत्र क्रमांक 1735 दिनांक 25.08.2005 एवं आदेश क्रमांक 2929 दिनांक 10.10.2012 द्वारा ग्राह्य किया गया है, तथा कंपनी के आदेश क्रमांक 1351 दि. 05.06.2012 द्वारा ग्राह्य पदोन्नति नियम एवं दिनांक 01.01.2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत किये जाने का अवसर प्रदान किया गया है। तदनुसार निम्नलिखित निज सहायक/वरिष्ठ शीघ्रलेखक को उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये विकल्प के अनुसार 30 वर्षीय तृतीय विकल्प, नियम के अंतर्गत निज सचिव के पद का उच्च वेतनमान, वेतन संवर्ग ओ-1, वेतन बैंड-3 में वेतनमान रु0 15600-39100/- सादृश्य ग्रेड वेतन रुपये 5400/- प्रतिमाह का लाभ, प्राप्त जानकारी/दस्तावेजों के आधार पर, उनके समक्ष दर्शायी गयी तिथि से इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि इस तिथि पर उनके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच लम्बित नहीं थी एवं यह तिथि उनको प्रदत्त किसी भी विभागीय दण्डावधि की परिधि में नहीं आती है।

क्र.	कर्मचारी संख्या	कर्मचारी का नाम	वर्तमान में पदस्थ	उच्च वेतन मान स्वीकृति की तिथि
1	84972651	श्रीमती रोसम्मा वर्गीस (वर्तमान में निज सहायक)	मुख्य अभियंता (कार्पो0 अफे0) जबलपुर	01-09-2015
2	83970052	श्रीमती लीलम्मा वर्गीस (वरिष्ठ शीघ्रलेखक)	मुख्य अभियंता (प्रोक्योमेंट) जबलपुर	01-09-2015

S.E. (Plg.)
S.E. (PS)
S.E. (PSS)
S.E. (SSO/ATL/PS)
S.E. (Plg. I) / (Plg. II)
S.E. (EA) / (LM) / (PS)
S.O.

उच्च वेतनमान की स्वीकृति का लाभ आगामी पद पर पदोन्नति या वरिष्ठता कोई अधिकार सुनिश्चित नहीं करता है।

O.S. (Estt.)

28.9.16

क्रमांक 04-04/तृतीय उवेमा-7/ 2932
प्रतिलिपि :

मुख्य अभियंता (परीक्षण एवं संचार)
म0प्र0पॉ0ट्रा0कं0लि0, जबलपुर


जबलपुर, दिनांक 2-09-2016

- कार्यपालक निदेशक (वित्त) म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि. जबलपुर ।
- मुख्य अभियंता (कार्पोरेट अफेयर्स) म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि., जबलपुर की ओर यू0ओ0 नोट क्रमांक 756 दिनांक 23.09.2016 के संदर्भ में ।
- मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट) म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि., जबलपुर ।
- कार्यपालन अभियंता (बेबमास्टर) कार्यालय मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट) म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि. जबलपुर ।

कमश2

Ms MM
29.9.16

5. वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी, म0प्र0पॉ0मै0कं0लि0 जबलपुर।
 6. क्षेत्रीय लेखाधिकारी म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि., जबलपुर।
 7. निज सचिव कार्यालय प्रबंध निदेशक, म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि., जबलपुर।
 8. श्री निज सहायक/वरिष्ठ शीघ्रलेखक द्वारा - मुख्य अभियंता (कार्पोरेट अफेयर्स)/(प्रोक्योरमेंट) म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि., जबलपुर।
- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- अ. पदोन्नति का अवसर प्राप्त होने पर, पदोन्नति अस्वीकार करने/निर्धारित समय-सीमा में पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि., के आदेश क्रमांक 3721-22 दिनांक 30-12-2015 के प्रावधानों के अनुसार उच्च वेतनमान का लाभ वापस ले लिया जावेगा।
- ब. उक्त कर्मचारी के नियंत्रक अधिकारी से अनुरोध है कि वे आदेश अग्रेषित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि उच्च वेतनमान की स्वीकृति की तिथि पर कर्मचारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित नहीं थी एवं वे दण्डावधि में नहीं थे। इसके साथ ही उपरोक्त कर्मचारी की सेवा पुस्तिका से यह भी जांच कर लें कि संबंधित कर्मचारी ने 30 वर्षीय तृतीय विकल्प नियम के तहत उच्च वेतनमान स्वीकृति की तिथि में गणना योग्य वांछित 30 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, एवं संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कार्यालयीन प्रक्रिया से संबंधित कोई अपराधिक प्रकरण नहीं है। तथा तृतीय विकल्प नियम के तहत उच्च वेतनमान स्वीकृति की तिथि तक उन्हें, आदेश क्रमांक 3721-22 दिनांक 30.12.2015 के प्रावधानों के अनुसार, मात्र दो ही अवसरों पर (पदोन्नति अथवा उच्चवेतनमान) वेतन उन्नयन (Fixation of pay) का लाभ प्राप्त हुआ है। यदि उपरोक्त किसी कर्मचारी को दो से अधिक अवसरों पर वेतन उन्नयन (Fixation of pay) का लाभ प्राप्त हो चुका है तब आदेश आवश्यक टीप के साथ इस कार्यालय को अविलंब लौटाना सुनिश्चित करें।
- स. उक्त कर्मचारी के अन्यत्र स्थानान्तरित होने की स्थिति में इस आदेश को इस कार्यालय को वापिस न कर, कर्मचारी के वर्तमान कार्यालय को प्रेषित किया जावे।


अधीक्षण अभियंता
कार्या0 मुख्य अभि0 (परी0 एवं संचार)
म0प्र0पॉ0ट्रा0कं0लि0, जबलपुर